study time

Subject Preamble

Date.: 04.5.2020

MON TUE WED THR FRI SAT SUN

Abdul Qaish
Assist. Prof. Pol. Science
Shershah college Sasaram

संविधान की उद्देशिका

प्रत्येक पुस्तक के आरंभ में एक प्राक्कथन होता है जिसे पढ़कर हम उस पुस्तक के संदर्भ में मूलभूत जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे भारतीय संविधान के आरंभ में एक उद्देशिका है जिसका अध्ययन करके हम हम भारतीय संविधान के उच्च आदर्शों, सिद्धांतों एवं इसके मौलिक विशेषताओं की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न विद्वानों एवं संविधानज्ञों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से इसके महत्व को रेखांकित करने का कार्य किया है जैसे- के॰एम॰ मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री (Political Horoscope) की संज्ञा दी है। अधिकांश संविधान निर्माताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है

भारतीय संविधान की उद्देशिका का स्रोत पं॰ जवाहर लाल नेहरू द्वारा संविधान सभा मे दिनांक 13 दिसम्बर वर्ष 1946 को प्रस्तुत तथा 22 जनवरी वर्ष 1947 को स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव और आस्ट्रेलिया का संविधान है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1976 द्वारा उद्देशिका में संशोधन कर 'समाजवादी', पंथनिरपेक्ष तथा 'और अखण्डता' शब्द जोड़ा गया। संशोधित उद्देशिका का स्वरूप इस प्रकार है- "हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवम्बर, 1949 ई॰ को एतद्द्वारा, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

Scanned with CamScanner

Subject Preamble

अध्ययन की सुविधा के लिए हम उद्देशिका को चार भागों में विभाजित कर लेते हैं :-

(1)- हम भारत के लोग ।

(2)- सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य ।

(3)- विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता ।

(4)- अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित ।

(1):⇒ हमारे संविधान की उद्देशिका 'हम भारत के लोग' से आरंभ होती है जो यह सिद्ध करती है कि संविधान का मूल स्त्रोत भारत की जनता है वही सभी शक्तियों का केन्द्र बिंदु है। जहाँ अन्य देशों के संविधान की उद्देशिका ईश्वर (Almighty God) या किसी विशिष्ठ नेता (जैसे चीन में डॉ० सनयात सेन) के नाम से शुरू होती है, वहीं हमारे भारतीय संविधान में जनता श्रेष्ठ एवं सर्वोच्च है।

(2):⇒ (a) सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न:⇒ उद्देशिका में प्रयुक्त यह शब्द स्पष्ट करता है कि हमारा देश आंतरिक एवं बाह्य इन दोनों दृष्टिकोण से पूरी तरह स्वतंत्र एवं संप्रभु है। अपने विदेश नीति के संचालन में यह पूरी तरह से स्वतंत्र है।

(b) समाजवादी:⇒ यह शब्द 42वें संविधान संशोधन अधि० वर्ष 1976 में जोड़ा गया। भारत का समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद है जो जवाहर लाल नेहरू की विचारधारा पर आधारित है जिसके अन्तर्गत उत्पादन के महत्वपूर्ण साधनों पर सरकारी नियंत्रण होता, यह नियंत्रण न्यून या अधिक हो सकता है। यह मुख्य रूप से दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों को ध्यान में रख कर चलता है

(1) भौतिक संसाधनों के वितरण में यथासंभव समानता के सिद्धांतों का पालन होना चाहिए।

(2) धन का संकेन्द्रण केवल कुछ लोगों के हाथों में नहीं होना चाहिए।

Scanned with CamScanner

study time

Subject Preamble

Date: __/__/__

MON TUE WED THR FRI SAT SUN

(c)- पंथ-निरपेक्ष :⇒ यह शब्द भी 42वे संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसका अर्थ यह है कि राज्य का अपना कोई धर्म नही होगा। राज्य सभी धर्मो के प्रति तटस्थ रहेगा तथा धर्मो से समान दूरी बनाते हुए सभी को समान संरक्षण प्रदान करेगा।

(d)- लोकतंत्र :⇒ लोकतंत्र का सीधा अर्थ है जनता का शासन, भारत में शासन का संचालन जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है जो व्यस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होते हैं।

(e)- गणराज्य :⇒ भारत एक गणराज्य है इसका अर्थ है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित होगा। इसमें सभी नागरिकों को समान माना जाता है। कोई भी नागरिक अगर निर्धारित योग्यता रखता है तो वह सभी पदों के लिए योग्य माना जाएगा।

(3)- विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का व्यापक उल्लेख संविधान के भाग-3 के अन्तर्गत मूल अधिकार शीर्षक के अन्तर्गत किया गया है।

(4)- अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित :⇒ इसका अर्थ यह है कि संविधान स्वयं भारतीय जनता के द्वारा स्वयं पर लागू किया गया है। ऐसा बिल्कुल भी नही है कि यह किसी बाह्य शक्ति द्वारा भारतीय जनमानस पर आरोपित है। इस संविधान की जननी स्वयं भारतवर्ष की जनता है।

Scanned with CamScanner